संख्या-17/774/41-2014-87 सा0/2014

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक:: 29 मार्च, 2014

विषय: आयोजनेत्तर पक्ष में किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व मद में पुनर्विनियोग द्वारा धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-3499/21-1-1 (बजट)/नजा0-101/2013-14, दिनांक-18.03.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बंगला नं0-64, ताज रोड, आगरा के सर्विस चार्ज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयोजनेत्तर पक्ष में किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व मद में रू0-12.50 लाख (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्निलखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-3452-आयोजनागत-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रचार-16-व्यावसायिक एवं विशेष

http://shasanadesh.up.nic.in

सेवाओं के भुगतान मद में संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा लेखा शीर्षक-3452-आयोजनेत्तर-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की आशासकीय संख्या-509(1)-ई-7/दस-2014 दिनांक-28 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक:-यथोक्त।</u>

भवदीय,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

<u>संख्या-17/774 (1)/41-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग **वित्तीय वर्ष 2013-14** **(धनराशि हजार रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**	**लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर**	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/वि नियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/वि नियोग**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3452-आयोजनागत-पर्यटन -80- समान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रचार-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	8500	8500	1250	1250	7250	3452-आयोजनेत्तर-पर्यटन-80- समान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन 03- अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय- 17 किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	2600	3850	1250	1250	3850
योग-	**8500**	**8500**	**1250**	**1250**	**7250**		**2600**	**3850**	**1250**	**1250**	**3850**

1- स्तम्भ -3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- इस मद में कुल रू0-100.00 लाख का प्राविधान चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में किया गया है, जिसमें योजना क्रियान्वित न होने के कारण यह बजट सम्प्रति हो रही है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है- किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व हेतु अपेक्षित धनराशि की स्वीकृति हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव
पर्यटन विभाग

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- आरई0-709/ई-7-509(1)/दस-2014, दिनांक-28 मार्च, 2014

सेवा मे,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

अरूण कुमार दुबे
अनुसचिव,
वित्त विभाग।

<u>संख्या- 774 (2)/41-2014 दिनांक- 28 मार्च, 2014</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4.
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://sugamadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in